

(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना)

Proposal No.FP/UK/OFC/41939/2019

परियोजना का नाम— जनपद चमोली के वन प्रभाग बद्रीनाथ में चमोली/नन्दप्रयाग/पश्चिमी पिण्डर रेंज के अन्तर्गत एन0एच0/डी0एम0आर0 नन्दप्रयाग-कण्डाई पुल- लुनथरा- कुरुड़- घाट- भैटी (49.5 किमी0)/नारायणबगड परखाल -रनेज (चोपता) (23.3 किमी0) जिसकी कुल लम्बाई 72.8 किमी0 एवं 0.416 है0 में मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी कार्यों हेतु रिलायंस जियो इन्फोकॉम लि0, प्रथम तल, रिलायंस मार्केट जी0एम0एस0 रोड, निरंजनपुर देहरादून को वन भूमि प्रत्यावर्तन की अनुमति दिये जाने का प्रस्ताव।

1.	स्थल जहाँ की वन भूमि शामिल की गई है। क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है? (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण की तारीख और किए गये प्रेक्षणों को निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।	नहीं।
2.	क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग-ख में दी गई सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है?	सहमत, परिशिष्टित क्षेत्र के अन्तर्गत कोई भी वृक्ष प्रभावित नहीं हो रहा है।
3.	प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।	जिनसे में स्वीकृति की जाती है।

दिनांक 30-12-2019

स्थान पौड़ी

हस्ताक्षर.....

नाम

वन संरक्षक
मन्मथ वृत्त पनखाण्ड
पौड़ी